हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार 29/11/24 को पेश हो ह० 1/11	
29/11/24. पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 5/12/24 को पेश हो ह० 29/11	
5/12/24. पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 01 R 10 प्रस्तुत हुई। दोनों प्रार्थनापत्रों का अवलोकन किया गया। दोनों प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं कि हस्तगत खसरा नम्बर 617 के खाते में दर्ज रिकार्ड है तथा आवेदकों के 50 वर्षों से उक्त स्थान पर मकान बने हुए हैं, जिसे तहसीलदार लाडनूं द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण का निवेदन है कि इस प्रकार वे आवश्यक पक्षकार हैं अतः उन्हें पक्षकार के रूप में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	~~प्रार्थना के~~ संयोजित किया गया। दोनों प्रार्थनापत्रों के जवाब प्रस्तुत हुए। प्रार्थी तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया है कि जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुए हैं व अतिक्रमण के आधार पर प्रस्तुत किए हैं, जिससे प्रार्थी का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का लोकस स्टैण्डर्ड आवेदकों को प्राप्त नहीं होता और ना ही रिकॉर्ड पत्रावली के तहत अन्य किसी भी व्यक्ति को अकारण पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। प्रकरण में विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि आवेदकों द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2018(2) RRT 1509 प्रस्तुत किया गया। न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
सामिक दृष्टान्त में प्रतिपादित किया गया है कि — " CPC- 01 R10 - वाद में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थनापत्र खारिज किया गया - प्रार्थी खातेदार अथवा सहखातेदार के रूप में रेकार्ड में दर्ज नहीं है - विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद - वादी की दावाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता. प्रार्थी हितबद्ध या आवश्यक पक्षकार नहीं है।"	
अभिभाषक आवेदकों का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नं. पर इनके मकान बने हैं तथा खसरा UIT के खाते दर्ज रिकार्ड है।. वर्तमान में वाद का कोई भी पक्षकार प्रश्नगत खसरा नं. का रिकार्डेड खातेदार नहीं है।. सभी को अपना पक्ष साक्ष्य के आधार पर साबित करना है, अतः आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।	
हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषकगण पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। पत्रावली में कुछ तथ्य पूर्णतया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	प्रमाणित है.. - हाल ख.नं. 306, नगर निगम कोटा के खाते दर्ज रिकार्ड है। - ख.नं.306 पर मकानात बने हुए हैं। - प्रकरण का कोई भी पक्षकार वर्तमान में ख.नं. 306 का रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। - उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में सभी प्रभावित पक्षकारों के साक्ष्य लेकर हस्तगत वाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। [illegible] O.1 R 10 के तहत प्रस्तुत दोनों प्रार्थनापत्रों को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को रिकार्ड पर लिया जाना है। पत्रावली वास्ते संशोधित टाइटल 6/12/24 को पेश हो। [signature] 5/12/24